पॉलिसी: स्टाफ के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

पॉलिसी क्रमांक – 60

जारी करने की तारीख – 13/10/2021

किस पर लागू है – कम्पनी के सभी कर्मचारियों के लिए

पॉलिसी में पेज़ों की कुल संख्या – 1

स्टाफ अपने बच्चों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी से छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं: -

1- ये छात्रवृत्तियां उन स्टाफ के बच्चों को दी जायेगी, जहाँ संसाधनों के अभाव में बच्चे की आगे की पढ़ाई अथवा कोचिंग सुचारु रूप से नहीं चल पा रही है।

2- यह छात्रवृत्ति सभी प्रतिभाशाली बच्चों को दी जायेगी। बच्चों के प्रतिभाशाली होने के आंकलन के लिए उनके पढ़ाई में प्रदर्शन, उनकी मार्कशीट को ही मानक माना जायेगा।

3- छात्रवृत्ति की राशि पूरी फीस या उसका कुछ हिस्सा हो सकती है। छात्रवृत्ति की राशि आगे की पढ़ाई की कुल फीस और परिवार की आय का मूल्यांकन करके निर्धारित की जायेगी।

4- यह योजना केवल स्टाफ के बच्चों के लिए ही उपलब्ध है न कि उनके मित्रों/रिश्तेदारों के बच्चों के लिए।

5- ये छात्रवृत्ति तब तक ही प्रदान की जाएगी जब तक स्टाफ कम्पनी में रहेगा। यदि कोई स्टाफ कंपनी छोड़ देता है या कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी।

6- छात्रवृत्ति नकद राशि के रूप में नहीं दी जाएगी, बल्कि पढ़ाई की फीस का भुगतान सीधे कंपनी द्वारा ही किया जाएगा।

7- विशेष मामलों में ही छात्रवृत्ति नकद राशि के रूप में दी जा सकती है, जिसका अंतिम निर्णय मैनेजमेंट द्वारा ही किया जाएगा।

8- जिस छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, यदि वह असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी।

9- कोई भी स्टाफ अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए संलग्न फॉर्म में आवेदन कर सकता है।

10- छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, एच-आर विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

11- छात्रवृत्ति की राशि की सीमा पूर्वनिर्धारित नहीं है, यह राशि प्रत्येक आवेदन के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

12- सभी छात्रवृत्ति आवेदन एच-आर विभाग में जमा किए जाएंगे। एच-आर विभाग आवेदनों की जाँच करने के बाद इसे मैनेजमेंट को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा। (जाँच के लिए एच-आर विभाग द्वारा स्कूल के दस्तावेज़ों की जाँच तथा आवेदक बच्चे और स्टाफ के साथ साक्षात्कार को आधार बनाया जायेगा) मैनेजमेंट की स्वीकृति के बाद ही छात्रवृत्ति दी जाएगी

* HR and Management Approved *

13- वर्तमान में यह छात्रवृत्ति पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर सालाना 10 बच्चों तक के लिए सीमित है।

14- अधिक जानकारी या किसी भी सवाल के जवाब के लिए एच-आर विभाग में संपर्क करें।

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित

मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत